संख्या- 270 /XIX/पुर्नवि0/06-62/खाद्य/2005

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 21 मार्च, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक संख्या-3475-के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-184/नि0वि0मा0वि0/ब0पुर्न0/2005, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-संख्या-582/XIX/बजट/2005-62/खाद्य/05,दिनॉकः 07-04-2005, संख्या-727/XIX/बजट/05-62/खाद्य/2005, दिनॉकः 04-05-2005, संख्या-881/XIX/बजट/05-62/खाद्य/2005, दिनॉकः 22-07-2005 तथा संख्या-1053/पुर्नविनियोग/XIX/2005-34/खाद्य/04, दिनांक-09 सितम्बर, 2005, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान (बाट माप) विभाग हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 3475 के आयोजनेत्तर पक्ष में कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री तथा पैट्रोल आदि आनुसांगिक मानक मदो हेतु धनराशि रू0 2.45 (रूपये दो लाख पैतालीस हजार मात्र) का सलग्न बी0एम0-15 के कालम-5 पर अंकित मानक मदो/विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2- स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय।

6- उपकरण, फर्नीचर, मशीनों का क्रय पदधारक/कार्यालय के मानक के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

.....2/-

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–भार और माप का विनियमयन–03–अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम–05 में उल्लिखित सुरांगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–140 / वि0अनु0–5 / 2006, दिनांक–16 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या– 270 (1) / XIX / पुर्न0वि0 / 06–62 / खाद्य / 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तरांचल, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वरिष्ठ सम्भागीय वित्त लेखाधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
10. समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

C:\vandana\Budget\3475.doc

अर्थ–व्ययक प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग– 2005–2006 विवरण पत्र

अनुदान संख्या–25

प्रशासनिक विभाग– विधिक माप विज्ञान विभाग, नियंत्रक अधिकारी– सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर में

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5		6	7	8
अनुदान संख्या–25 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–106–माप और माप का विनियमन–03–अधिष्ठान व्यय– 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति –400	23	–	377 (क)	07–मानदेय– 08–कार्यालय व्यय– 11–लेखन सामग्री– 13–टेलीफोन पर व्यय– 15–गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद–	01 50 50 25 100	51 100 100 50 170	132	(क) स्तम्भ–1 में आवश्यकता नहीं है। (ख) स्तम्भ–5 में वास्तविक आवश्यकता हेतु
योग 400	23	–	377		226	471	132	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है।

(एन०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।